193

संख्याः /XVII-3/15-07(5)/2015-TC

प्रेषक,

मोहम्मद शाहिद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **प्रबन्ध निदेशक,**
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं
   वक्फ विकास निगम, देहरादून।

2. **निदेशक,**
   अल्पसंख्यक कल्याण,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 04 **अप्रैल, 2015**

विषयः उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा संचालित 3 (तीन) योजनाओं कमशः अल्पसंख्यकों में क्षमता विकास हेतु कौशल वृद्धि योजना, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना एवं अल्पसंख्यक समुदाय की बेरोजगार महिलाओं हेतु सिलाई, कढ़ाई आदि प्रशिक्षण हेतु रहबर योजना के संचालन हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवकमित करते हुए उक्त योजनाओं को समाहित करके मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों में व्याप्त बेरोजगारी दर को कम करना तथा उनके पारंपरिक कौशल का संरक्षण, उन्नयन तथा उन्हें बाजार से जोड़ना है, तथा मौजूदा दस्तकारों की रोजगारपरकता को व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा बेहतर बनाकर राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना द्वारा विभिन्न आधुनिक परंपरागत व्यवसायों के लिए अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल का, उनकी शैक्षिक अर्हता, वर्तमान आर्थिक रूझान एवं बाजार की संभाव्यता के आधार पर उन्नयन किया जाना है।

मुख्यमंत्री हुनर योजना की रूपरेखा :–

(1) प्रशिक्षार्थियों की पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होना चाहिये। लाभार्थी की आयु 18–45 वर्ष होनी चाहिये। प्रशिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण हेतु कम से कम पांचवी/साक्षर होना चाहिये। प्रार्थी की शिक्षा राजकीय स्कूलों से हुई हो अथवा मदरसों से दोनों मान्य होगीं। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिये। प्रार्थी की परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू0 3,50,000 एंव शहरी क्षेत्र में रू0 4,50,000 तक होनी चाहिये। प्रार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिये।

(2) योजना के घटक

मुख्यमंत्री हुनर योजना राज्य में निवासरत अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास हेतु कियान्वित की जायेगी। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा, तथापि अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों, विकासखण्डों एवं कलस्टर पर विशेष जोर दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता, बाजार की मांग कच्चे माल की उपलब्धता एवं लाभार्थी की अभिरूचि के अनुसार पारम्परिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किये जायेगें। प्रशेक्षण के दौरान जिन व्यवसायों की आवश्यकता हो, में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार के स्थानीय औद्योगिक आस्थानों एवं बाजार, हाट तथा व्यवसायिक

केन्द्रों का व्यवहारिक भ्रमण भी कराया जायेगा। कौशलवृद्धि प्रशिक्षण के साथ ही व्यक्तित्व विकास एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी लक्षित लाभार्थियों को दिया जायेगा ताकि उनमें आत्मविश्वास आ सके। इस प्रयोजन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त जिन व्यवसायों में स्थलीय भ्रमण एवं अध्ययन सम्मिलित होगा, वहां पर लाभार्थियों को लाने एवं ले जाने, जलपान हेतु वास्तविक न्यूनतम दर पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त तीनों योजनाओं का विलय कर मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित की जायेगी। उक्त तीनों योजनाओं में जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का भी विलय किया जायेगा चूंकि जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के अतिरिक्त विपणन सुविधा, जागरूकता शिविरों का आयोजन, सूचना संकलन, मूल्याकन एवं अनुश्रवण, मार्जिन मनी ऋण, अनुदान एवं बैंक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। अतः ऋण एवं अनुदान को छोड़कर उक्त गतिविधियों का संचालन भी अब मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति रू0 10,000/– प्रति लाभार्थी देय होगी, जिसमें यह शर्त होगी कि 300 घंटे प्रशिक्षण हेतु अधिकतम रू0 10,000/–, 250 घंटे प्रशिक्षण हेतु रू0 9,000/–, 200 घंटे के लिये रू0 7,000/– एवं 150 घंटे के लिये रू0 6,000/–तथा 125 घंटे तक के लिये अधिकतम रू0 4,500/–होगी। जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल, प्रशिक्षक का मानदेय, सर्टिफिकेशन, प्रशिक्षण कक्ष का किराया इत्यादि सम्मिलित होगा। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त निम्न दर पर स्टाईपन्ड भी दिया जायेगा। यह धनराशि सीधे निगम द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में दी जायेगी। लाभार्थी की सूची एवं बैंक खाता संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

- प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे तक– देय स्टाईपन्ड रू0 2000/– तक
- प्रशिक्षण की अवधि 150 घंटे तक– देय स्टाईपन्ड रू0 2500/– तक
- प्रशिक्षण की अवधि 250 घंटे तक– देय स्टाईपन्ड रू0 4000/– तक
- प्रशिक्षण की अवधि 300 घंटे तक– देय स्टाईपन्ड रू0 4500/– तक

(3) योजना कियान्वयन एजेन्सी

(I) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कियान्वयन सोसायटी पंजीकृत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की सोसायटियों एवं प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। योजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा एजेन्सियों का चयन खुले व पारदर्शी तरीके से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। उक्त संस्थान अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में रोजगार की क्षमता की पहचान के लिये उनके प्रशिक्षण तथा प्लेसमेन्ट की मॉनिटरिंग के लिये जिम्मेदार होगें। कोई भी प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त अथवा पंजीकृत व्यवसायिक संस्थान जो कम से कम तीन वर्षों से कौशल विकास के पाठयक्रमों का आयोजन करता आ रहा हो और जो स्थापित बाजार से सम्बद्ध हो तथा प्लेसमेन्ट में उसका सफल रिकार्ड हो। कोई भी उद्योग अथवा उद्योगों की एसोसिएशन जैसे सिडकुल, जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, श्रम एवं रोजगार विभाग, आईटीआई एवं पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि जो समुचित प्लान के साथ योजना के वित्तीय मानको के अनुसार ऐसे कौशल उन्नयन प्रशिक्षण केन्द्रो का संचालन करने के इच्छुक हों, से भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कियान्वन किया जा सकेगा।

(II) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेन्सी के लिये एनसीवीटी, निसबड, ईएसटीसी, हिल्ट्रान, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, श्रम एवं रोजगार विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, हैण्डीक्राफ्ट निदेशालय, आरसेटी एवं राज्य तथा केन्द्र सरकार के स्किल डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा अनुमोदित मॉडयूल्स द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना अपेक्षित होगा, ताकि प्रशिक्षण में सफल लाभार्थियों को उन व्यवसायों के लिये प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण का मॉडयूल एनसीवीटी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, श्रम एवं रोजगार विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनाये जा रहे बहुत से पारम्परिक कौशल जैसे–कढाई, चिकनकारी, जरदौजी, पेंचवर्क, रत्न एवं आभूषण जड़ाई, बुनाई, काष्ठ कार्य, कालीन बनाना इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा इनसीवीटी द्वारा अनुमोदित अन्य पाठयक्रम भी किसी विशिष्ट जनपद अथवा क्षेत्र में मांग एवं स्थानीय बाजार की क्षमता के आधार पर प्रारम्भ किये जा सकते है। इससे एक ओर

अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनाई गयी पारम्परिक कलाओं एवं शिल्पों को संरक्षित करने तथा दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदायों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किये जायेगें तथापि अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य विकासखण्डों में योजना को कियान्वित करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेगें। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्लेसमेन्ट सेवाओं के साथ भी सम्बन्ध स्थापित करना होगा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त संस्था द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, वीर चन्द्र सिंह गढवाली, नगरीय विकास विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से सुगम लघु वित्त ऋण की व्यवस्था करायी जायेगी। उन संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी, जो संस्थायें प्रशिक्षित लाभार्थियों में से 70 प्रतिशत लाभार्थियों को प्लेसमेन्ट अथवा स्वरोजगार के अवसर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगी।

(III) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व चयनित संस्थाओं एवं निगम के बीच एक एम0ओ0यू0 सम्पादित किया जायेगा। चयनित एजेन्सी के अलावा निदेशक मण्डल यदि किसी अन्य संस्था को उपयुक्त समझता है तो बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त ऐसी संस्थाओं के चयन पर भी विचार किया जा सकेगा। एजेन्सी को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण हेतु सीसीटीवी कैमरा एवं जीपीएस आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति के उपकरण भी अनिवार्य रूप से स्वयं उपलब्ध कराने होगें। प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध एजेन्सियों को कम से कम 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करायें जायेगें एवं उन्हें प्रारम्भ में दो वर्ष के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा तत्पश्चात् उनके कार्य निष्पादन (Performance) के आधार पर निदेशक मण्डल इस अवधि को एक–एक वर्ष के लिये दो बार बढा सकेगा। प्रशिक्षण व्यक्तिगत लाभार्थियों को एवं स्वयं सहायता समूहों में संगठित समूहों को भी दिया जा सकेगा। निगम द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को प्रथम वरीयता दी जायेगी।

(4) एजेन्सी को धनराशि उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया

संस्था को पात्रताओं के आधार पर ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये लाभार्थियों का चयन लाभार्थियों की पात्रता के आधार पर स्वयं करना होगा। चयनित लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित संस्था द्वारा निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। संस्था के साथ टर्म्स एंड कन्डीशन्स के आधार पर अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा तथा संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत धनराशि का 60 प्रतिशत अंश का भुगतान संस्था को कर दिया जायेगा, 30 प्रतिशत अंश का भुगतान सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् किया जायेगा एवं अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि प्लेसमेन्ट एवं स्वतः रोजगार में नियोजित लाभार्थियों का विवरण प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा। पूर्ण भुगतान के पश्चात् संस्था द्वारा निगम को उपभोग प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त कौशलवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने हेतु एजेन्सी की पात्रतायें निम्नलिखित होगीं :–

1– संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, कम्पनी अधिनियम 1956 एवं ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
2– संस्था वर्तमान में किसी भी कानून के तहत पंजीकृत ब्लैक लिस्ट न हो या उसके विरूद्ध कोई जांच गतिमान न हो।
3– संस्था का विगत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं बैलेन्स शीट तैयार हो।
4– संस्था का पैन नं0, 12–ए, 80 जी प्रपत्र उपलब्ध हों, किन्तु 80 जी प्रपत्र अनिवार्य नहीं होगा।

संस्था के चयन के समय मार्किंग, संस्था का रजिस्ट्रेशन, संस्था ने पूर्व में कितने लाभार्थियों को किस विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया उसके सापेक्ष कितनों को प्लेसमेन्ट एवं स्वरोजगार दिया, संस्था का वार्षिक टर्नओवर क्या है ? एवं संस्था के पास क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा कक्ष, मशीन एवं उपकरण, पूर्णकालिक फैकल्टी, अंशकालिक फैकल्टी, मानकीकृत कोर्स/प्रशिक्षण इत्यादि के आधार पर किया जायेगा।

(5) एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन की प्रकिया

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम द्वारा उपरोक्त भांति प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव मांगे जायेगें तथा सभी शर्तें पूर्ण करने वाली संस्थाओं का दो वर्ष के लिये चयन किया जायेगा। प्रशिक्षणदायी संस्था की गुणवत्ता के आधार पर

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा एक–एक वर्ष के लिये दो बार प्रशिक्षण अवधि बढायी जा सकेगी। चयन हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जायेगा :–

1– प्रबन्ध निदेशक	–	अध्यक्ष
2– उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण	–	सदस्य
3– उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा	–	सदस्य
4– सहायक महाप्रबन्धक, नाबार्ड	–	सदस्य
5– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम	–	सदस्य सचिव

(6) योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम चूंकि इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेन्सी होगी। इसलिये समय–समय पर निगम मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा भी योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी बाहय संस्था या राज्य योजना आयोग से भी इस योजना के अध्ययन का मूल्यांकन कराया जा सकेगा। एजेन्सी द्वारा प्रदान किये गये प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्लेसमेन्ट एवं स्वतः रोजगार में नियोजित लाभार्थियों की सूचना, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेन्ट्री इत्यादि निगम मुख्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार, मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन समयबद्ध रूप से किए जाने हेतु सभी स्तरों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या–438(P)XXVII(3)/2014–15, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद शाहिद)
सचिव।

संख्याः 334 /XVII-3/15-07(5)/2015-TC: तद्दिनांकितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ऑबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
(2) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(4) आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(7) समस्त जिला अल्पसख्यक कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
(8) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(9) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(10) महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, देहरादून।
(11) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, देहरादून।
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पंथरी)
संयुक्त सचिव।